न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—13/2023 (2023/152) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गुलाबदेवी पत्नि काना बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—जगदीश पुत्र छोगा बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—लालाराम पुत्र छोगा बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—12.07.2023

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम थला, पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जो काश्त की आराजी संख्या 2162/1121 रकबा 0.67 है0 भूमि अन्य आराजी के साथ खाता संख्या 102 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण उपनी उक्त आराजियात पर सदैव से मुख्य सड़क होते हुए उक्त खसरा संख्या से सटमा सड़क कि छुटी हुई भू—पट्टी जो रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसके खसरा संख्या 2172/1120 रकबा 0.1350 है0 उक्त रकबा सड़क सीमा कि निर्धारित नपती के अन्तर्गत आता है जो वर्तमान में रास्ते के उपयोग का ही है लेकिन राजस्व रेकार्ड में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है उक्त आराजियात के सटमा प्रार्थी गुलाबदेवी कि आराजी संख्या 2158/1120 है जिसको प्रार्थी गै.मु. रास्ते के रूप में तहसीलदार रायपुर के समक्ष समर्पित करते हेतु तत्पर है प्रार्थीगण को आवागमन हेतु एवं आवासीय सम्परिवर्तन कराने हेतु आराजी संख्या 2172/1120 रकबा 0.1350 में से 30 फीट चौड़ाई में रास्ता दर्ज कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आवागमन करने में अतिकमी आये दिन अड़चन व बाधा उत्पन्न करते रहते है एवं मौके पर जबरन कब्जा कर रास्ता अवरोध करते है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया है नजरी नक्शे में प्रस्तावित किया गया है जिसे नियमानुसार डीसलसी दर पर प्रार्थी रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहते है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी कि आराजी संख्या 2172/1120 रकबा 0.1350 है0 भूमि में 30 फीट चौड़ाई में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जाने एवं उक्त [illegible] भूमि को गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज करवाये जाने का तहसीलदार रायपुर [illegible] जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के [illegible] दर्ज रजिस्टर किया [illegible] विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:37:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम थला की आराजी संख्या 2172 / 1120 रकबा 0.1350 है0 बिलानाम में मौके पर वर्तमान में रास्ता बना हुआ है। मौके पर उक्त आराजी में रास्ता बना हुआ है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई आस—पास प्रार्थीगण की आराजी में पहुॅचने का कोई रास्ता नही है। वर्तमान में उक्त आराजी संख्या 2172 / 1120 बिलानाम से ही आवागमन होता रहा है। उक्त आराजी संख्या 2172 / 1120 रकबा 0.1350 है0 मे से 0.0240 है0 यानि 240 वर्गमीटर रास्ता चाहता है जिसकी डीएलसी दर 370002 / —रूपये प्रति है0 जिसकी राशि 8860 / —रूपये बनती है जिसे दुगुना करने पर 17760 / —रूपये बनती है। संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी रास्ता नही है। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आस—पास नही है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थीगण वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है जो तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में अंकन है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थीगण कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थीगण की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नही की। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थला तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 2162 / 1121 रकबा 0.67 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 2172 / 1120 रकबा 0.1350 है0 मे से रकबा 0.0240 है0 भूमि (यानि 240 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 370002 / —रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 8880 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 17760 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है जि[illegible]क्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलान[illegible] पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:37:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे द्वा[illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—13 / 2023 (2023 / 152) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गुलाबदेवी पत्नि काना बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—जगदीश पुत्र छोगा बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—लालाराम पुत्र छोगा बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थला तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 2162 / 1121 रकबा 0.67 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 2172 / 1120 रकबा 0.1350 है0 मे से रकबा 0.0240 है0 भूमि (यानि 240 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 370002 / —रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 8880 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 17760 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:37:48 IST
Reason: SelfAttested